न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 05/2017

आरसीएमएस नम्बरः– 2017/00008

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र बनवारी लाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी अम्बडेकर सर्किल के पास, बीकानेर।

..........वादी

---बनाम---

1. प्रेमरतन पुत्र श्री रामलाल, जाति खत्री (मोदी), निवासी फड बाजार, बीकानेर। (मृतक)

1/1 बनवारी लाल पुत्र प्रेमरतन, जाति खत्री (मोदी) निवासी फड बाजार, बीकानेर।

2. पूनूराम पुत्र रोशनदान,जाति हरिजन, निवासी नाल बडी, बीकानेर। (मृतक)

2/1 मुख्तार देवी धर्मपत्नी स्व. महेन्द्र पुत्र स्व. अमरचन्द,

2/2 लक्ष्मण पुत्र स्व. महेन्द्र पुत्र स्व. अमरचन्द,

2/3 पासो देवी पुत्री स्व. अमरचन्द,

2/4 दिलीप कुमार पुत्र स्व. अमरचन्द,

2/5 विक्रम पुत्र स्व. अमरचन्द,

2/6 जमना देवी पत्नी स्व. उत्तमचन्द (पुत्र स्व. अमरचन्द),

2/7 अशोक कुमार पुत्र स्व.उत्तमचन्द (पुत्र स्व. अमरचन्द),

2/8 जगदीश पुत्र स्व. उत्तमचन्द (पुत्र स्व. अमरचन्द),

2/9 सीमा पुत्री स्व. उत्तमचन्द (पुत्र स्व. अमरचन्द),
निवासीगण पंजाबियो का मौहल्ला, नाल छोटी बीकानेर।

3. तहसीलदार, जरिये तहसील राजस्व, बीकानेर।

.............प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 188 सपठित धारा 53 ए राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थितः–

1 श्री लक्ष्मीकान्त रंगा एड. वादी की ओर से।
2. श्री ब्रजमोहन पुरोहित एड. प्रतिवादी सं. 1/1 की ओर से।
3. श्री राजेश रावत एड. प्रतिवादी सं. 2/1, 2/2, 2/4 ता 2/7 की ओर से

दिनांकः– 30/7/19

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:45:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य [illegible] है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त अविभाजित खातेदारी भूमि [illegible] खसरा नं. 590/2 मे 2.00 हैक., 591/2 में 12.31 हैव, खसरा नं. 1556/585 में 1.000 हैव., व इस तरह कुल किता 3 में 15.31 है कृषि भूमि स्थित है । उक्त वर्णित कृषि भूमि में से प्रतिवादी [illegible] से दिनांक 11.12.2013 को जरिये विक्रय पत्र से वादी ने 6.32 हैव भूमि खरीद की हुई है । जिसपर वादी 6.32 हैव का मालिक व काबिज हुआ ।

प्रकरण प्रस्तुत करने के दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने दिनांक 22.02.2017 के आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया गया जाकर प्रतिवादी सं. 2 लिक्ष्मी देवी पुत्री कालूराम का नाम कलम जन किया जा चुका है । पुनूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसानों का रिकार्ड पर लिया जा चुका है तथा तथा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 दीवानी प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/9 द्वारा प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसरण में संशोंधन वाद पत्र वादी द्वारा निम्नानुसार पेश किया गया। जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. (1/1 व 2/1 ता 2/9) की उक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 ने दिनाक 11.12.2013 को वादी को 6.32 हैक. कृषि भूमि विक्रय करके खसरा नं. 591/2 पर नाल से शोभासर जाने वाले हाइवे बाइपास के अगुणा दिशा की ओर कब्जा सर्पुद कर दिया था। तथा उक्त कब्जे के अनुसार वादी का लगातार बतौर खातेदार के खसरा नं. 591/2 पर सडक के पूर्व दिशा की ओर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 प्रेमरतन व 2 पुनूराम जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनके नाम से निम्न प्रकार भूमि दर्ज है। वादी के नाम 6.32 हैक., प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 6.19 हैक., व प्रतिवादी सं. 2 (पुनुराम) के नाम से 2.80 हैक., दर्ज है जिसके वारिसानों को प्रतिवादी सं. 1/1 एवं 2/1 ता 2/9 बनाया गया हैं।

इस प्रकार तमाम कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातेदारी कृषि भूमि हैं। जिसमें वादी का 6.32 हैक., हिस्सा है तथा खरीद के बाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 अपनी रजामन्दी के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में जमीनो की किमत बढ जाने के कारण व वादी का कब्जा मुख्य सडक पर होने के कारण आस पास के काश्तकार दखलन्दाजी करते रहते है तथा सयुक्त रूप से लगान जमा कराने व सयुक्त व अविभाजित होने के कारण मौके पर अपनी भूमि पर विकास करने में भी असमर्थ है। प्रतिवादीगण वादी के सम्पर्क में नहीं है अन्य के माध्यम से बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी ये लोग खाता विभाजन में आनाकानी कर रहे है लेकिन उनका मौके पर अलग से कब्जा काश्त वादी की भूमि के उतराद दिशा की ओर चला आ रहा है जिससे वादी का कोई सरोकार नहीं है। वादी को जिस जगह पर विधिक रूप से कब्जा सपुर्द किया गया था उस जगह पर वादी अपनी भूमि का अलग से तकसीम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से नाम इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। इसी गर्ज से वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अनेको मर्तबा निवेदन किया जा चुका लेकिन अन्तिम बार दिंनाक 26.01.2017 को निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण 1 व 2 आनाकानी करने लगे व खाता तकसीम करवाने से मना कर दिया। इसीलिये वादी को वाद कारण हासिल हुवा ओर यही वाद पेश करने का कारण है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस अमर की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादी अपनी खरीद शुदा भूमि तादादी 6.32 हैक्टर वादी का कब्जा कुल कृषि भूमि के पूर्व दिशा में खसरा नं. 591/2 पर चला आ रहा है का खातेदार काश्तकार है कब्जा रखने का तकसीम की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है इसके अनुसार वादी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारे करवाने का अधिकारी है। अतः वादी की खरीद शुदा भूमि खसरा नं. 591/2 [illegible] काश्त है के अनुसार शेष प्रतिवादीगण सं 1 व 2 की भूमि के कब्जे के [illegible] राजस्व रिकार्ड में अलग से जमाबन्दी मे वादी का नाम दर्ज [illegible] जावे कि वादी के कब्जा

इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] ओर न ही ऐसा गैर कृत्य करे काश्त में चली आ रही है भूमि में प्रतिवादीगण प्रवेश न [illegible] जो विरुद्ध वादी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:45:25 IST
Reason: SelfAttested

इस वाद पत्र के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 लिक्ष्मी का नाम माननीय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 22.02.2017 के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया हैं। जिसका इस वाद में कोई सरोकार नहीं होने के कारण प्रतिवादी का नाम प्रकरण से कलमजन किया गया। प्रतिवादीगण 1 का स्वर्गवास होने पर उसके वारिस को प्रतिवादी सं. 1/1 संयोजित किया गया व प्रतिवादी सं. 3 का स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी सं. 3/1 ता 3/9 संयोजित किये गये जो सशोंधित वाद शीर्षक में प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/9 संयोजित किये गये। प्रतिवादी सं. 1/1 की तरफ से श्री ब्रजमोहन पुरोहित एड. द्वारा वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया गया व प्रतिवादी सं. 2/1 ,2/2, 2/4 ता 2/7 की तरफ से श्री राजेश रावत एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व जवाब दावा प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/9 का दिया गया । इस पर वकील प्रतिवादी सं. 2/1,2/2,2/4 ता 2/7 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 7 जाबता दीवानी का पेश किया गया जिस पर वकील वादी द्वारा कोई आपति नहीं की जिसके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया गया व प्रतिवादी 2/1 ता 2/9 वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब 2/1, 2/2, 2/4, ता 2/7 की ओर से पेश किया जाना स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 2/3, 2/8 व 2/9 के समन संयुक्त परिवार मे तामिल होने पर भी असालतन व वकालतन उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गयी है।

वकील प्रतिवादी सं. 1/1 द्वारा अपने जवाब दावा मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में सभी बिन्दुओं को स्वीकार किया गया व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त वादी की भूमि के उतराद दिशा कि ओर चला आ रहा है जिसमे वादी का कोई सरोकार नहीं है। वादी को जिस जगह विधिक रूप से कब्जा सर्पुद किया गया था उस जगह पर वादी अपनी भूमि का अलग से तकसीम करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अलग से नाम इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। जो स्वीकार किया गया है।

प्रतिवादी सं. 2/1, 2/2, 2/4 ता 2/7 द्वारा अपने जवाब दावा में वाद पत्र के पैरा सं. 1 ता 7 को स्वीकार किया गया हैं। जिसमे नाल बडी में स्थित कृषि भूमि 6.32 हैक. हिस्सा वादी का एवं 6.19 हैक. हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का व शेष 2.80 हैक्ट में भूमि प्रतिवादी सं. 2/1 ता 2/9 का है। प्रतिवादी सं. 2/1, 2/2, 2/4 ता 2/7 द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाता है तो उनको कोई आपति नहीं है।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी का इस आशय का पेश किया गया कि वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नं. 590 व 591 की जगह वकील प्रतिवादीगण की सहमति से 590/2 व 591/2 की शुद्धि की गयी।

वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 1/1 व 2/1, 2/2, 2/4 ता 2/7 को सुना गया। वादी व प्रतिवादी वकीलो द्वारा वादगत कृषि भूमि नालबडी के खसरा नं. 590/2 मे 2.00 हैक. , खसरा नं. 591/2 में 12.31 हैक., एवं खसरा नं. 1556/585 में 1.000 हैक., कुल किता 3 में 15.31 हैक. कृषि भूमि का खाता विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर खाता विभाजन करने की स्वीकृति दी गयी।

हमने वाद पत्र व वाद पत्र के [illegible] संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया । वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 2/3, 2/8 [illegible] के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही है। प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध कोई [illegible] वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 1/1, 2/1, 2/2, 2/4 ता 2/7 के कथनानुसार दावा स्वीकार किया जाता है कि नाल बडी के खसरा 590/2 में 2.00 हैक., खसरा नं. 591/2 में 12.31 हैक., एवं खसरा नं. 1556/585 में 1.000 हैक., कुल किता 3 तादादी 15.31 हैक., कृषि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:45:25 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है व प्राथमिक डिक्री व निर्णय की प्रति तहसीलदार भू.अ. बीकानेर को इस निर्देश के साथ भिजवायी जाती है कि वे पक्षकारो को नोटिस जारी कर मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव व नक्शा की दो–दो प्रतियों में प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 30/7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:45:25 IST
Reason: SelfAttested